

19/2/25

उपरोक्त अनुपस्थित। न्यायालय समय में कई बार
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वाइपत्र/प्रा० पत्र अक्सर हाजिर एवं
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसला नुमार न. से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

✓